आगणन हेतु उसकी परिलब्धियां वही मानी जायेंगी जो यह स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के दिनांक को प्राप्त कर रहा था। अवर सेवा के कर्मचारियों के संबंध में जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है, ऊपर उल्लिखित उपबन्ध (Mutatis mutandis) लागू होंगे।

3. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त प्राविधानों को ध्यान में रखें तथा अपने अधीनस्थ समस्त पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की जानकारी में संशोधित मूल नियम 56 के उपर्युक्त प्राविधान भली प्रकार ला दें तथा यह निदेश दें कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को उपर्युक्त सुविधा का लाभ देने के लिये आवश्यक कार्यवाही तत्परता से तथा शीघ्र करें।

भवदीय,

एम. वाधवानी,

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 5/7/77(4) कार्मिक-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

एम. वाधवानी,

आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-503/सत्तर-6/98-3(7)/97 पी.सी.

प्रेषक,

श्री आर. पी. शुक्ल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त कुलपति,
   राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक (उच्च शिक्षा),
   उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 मई, 98

विषयः- राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संघों द्वारा लम्बे अरसे से राज्य कर्मचारियों की भांति स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग की जाती रही है। शासन द्वारा उनकी उक्त मांग पर गहन विचार किया गया।

2. सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्य विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं।

(1) राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जिन शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और स्वेच्छा सेवा निवृत्ति चाहते हों, को तीन माह पूर्व इस आशय की नोटिस विश्वविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की संस्तुति से शासन को भेजी जायेगी तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के माध्यम से संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को भेजी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद तथा महाविद्यालय के समबन्ध में प्रबन्ध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करके, कि आवेदक शिक्षक/कर्मचारी को कथित दिनांक से सेवा निवृत्ति किये जाने में आपत्ति नहीं है, क्रमशः उ.प्र. शासन तथा निदेशक उ.शि. को 15 दिन में प्रस्तुत करेंगे।

(3) विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उ.प्र. शासन तथा महाविद्यालय के सम्बन्ध में निदेशक उच्च शिक्षा क्रमशः कार्य परिषद तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम निर्णय लेंगे तथा निर्णय से नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह के भीतर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरने के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(5) यह समाधान करने के लिए कि क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की अपेक्षा करना लोक हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर विचार करना अपवर्जित है।

(6) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अनुमन्य किये जाने पर सुसंगत नियमों के अनुसार तथा उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे, परन्तु पेंशन आगणन के लिए उतनी ही सेवावधि आगणित की जायेगी, जितनी नियमित अर्हकारी सेवा वास्तव में की हो।

(7) राजाज्ञा में उल्लिखित "शिक्षक" शब्द का वही अर्थ लिया जायेगा जैसा कि उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में परिभाषित है।

3. समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक संशोधन कर लेंगे।
4. ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा वित्त विभाग के अ.शा. संख्या ई-11-1716/दस-98 दिनांक 21-5-98 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आर.पी. शुक्ल
विशेष सचिव।

संख्या-503/सत्तर-6/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महावि. के समस्त प्राचार्यों को उक्त राजाज्ञा की चक्रमुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ.प्र. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. श्री राम सुफल दीक्षित मंत्री, अशासकीय महाविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ महिला महाविद्यालय, लखनऊ।
7. श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय पेंशनर परिसंघ, गंगा भवन, 270/17, बिरहाना, लखनऊ।
8. उच्च शिक्षा अनुभाग-1/2/3/4/5.
9. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण।
10. निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शंकर दत्त तिवारी
विशेष कार्याधिकारी।